

[ प्राधिकृत अनुवाद ]

## हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या—18 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975

को आगे संशोधित करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।  
(2) यह 30 जनवरी, 1975 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
  - (i) खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—  
'(घक) "समापन प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, अनुमोदित अभिन्यास योजना, भवन योजना तथा अनुमोदित डिजाइन तथा विनिर्देशनों के अनुसार सम्पूर्ण उपनिवेश में विकास संकर्मों के समापन के बाद तथा ऐसी फीस और प्रभारों, जो विहित किए जाएं, के भुगतान पर, निदेशक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र';;
  - (ii) खण्ड (जजञज) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—  
'(जख) "अधिभोग प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, किसी भवन या उसके भाग के अधिभोग की अनुमति देते हुए निदेशक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र';
  - (iii) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—  
'(टक) "आंशिक समापन प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, अनुमोदित अभिन्यास योजना तथा अनुमोदित डिजाइन और विनिर्देशनों के अनुसार किसी उपनिवेश के उस भाग में विकास संकर्मों के समापन के बाद, निदेशक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र';।
3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (7) के बाद, निम्नलिखित उप—धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—  
"(8) उपरोक्त उप—धारा (6) तथा (7) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामलों में, जहां उपनिवेशक ने प्लॉटिड उपनिवेशों से भिन्न मामले में या तो सभी भवन ब्लॉकों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है या जहां प्लॉटिड उपनिवेशों के मामले में सम्पूर्ण उपनिवेश के लिए आंशिक समापन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, तो समापन प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन हेतु आगे कोई भी संवीक्षा करनी आवश्यक नहीं होगी तथा ऐसा समापन प्रमाणपत्र लागू अवसरचना संवर्धन प्रभारों के भुगतान पर जारी किया जा सकता है।"

1975 के हरियाणा  
अधिनियम 8 की  
धारा 2 का  
संशोधन।

1975 के हरियाणा  
अधिनियम 8 की  
धारा 3 का  
संशोधन।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम 1975 वर्ष 1975 में अधिनियमित किया गया था।

तत्पश्चात्, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम के नियम वर्ष 2017 में बनाए गए। इस अधिनियम की धारा 2 (थ) और 2 (यच) क्रमशः समापन प्रमाणपत्र (कम्पलिशन सर्टिफिकेट) और अधिभोग प्रमाणपत्र (आक्यूपेशन सर्टिफिकेट) को परिभाषित करती है जोकि समानता के उद्देश्य के लिए एक पूर्ण परियोजना मानी जाती है।

तदनुसार, सबसे पहले, यह उचित होगा कि अधिभोग प्रमाणपत्र और समापन प्रमाणपत्र के बीच समानता के निर्माण के लिए एक सक्षम प्रावधान बनाने के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र को परिभाषित किया जाए। इसके अतिरिक्त समापन प्रमाणपत्र एवं अधिभोग प्रमाणपत्र को हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम 1975 में परिभाषित नहीं किया गया है, जो कि अब इस अधिनियम में समावेशित करना प्रस्तावित है।

दूसरे, उपरोक्त दोनों अधिनियमों के बीच समानता लाने और उन कॉलोनियों के लिए समापन प्रमाणपत्र प्रदान करने में तेजी लाने के लिए, जो बहुत पहले से बसी हुई हैं, ऐसी परियोजनाओं को समापन प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई है जहाँ प्लाटिड कॉलोनियों के अलावा अन्य कॉलोनियों के मामले में सभी बिल्डिंग ब्लॉकों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा चुका है और जहाँ प्लाटिड कॉलोनियों के मामले में पूरे क्षेत्र के लिए आंशिक समापन प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है।

अतः यह विधेयक प्रस्तावित है।

नायब सिंह,  
मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 7 नवम्बर, 2024

डॉ सतीश कुमार,  
सचिव।

**अवधेय:** उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 7 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नरमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।